बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 198 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

जल संसाधन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई/बाढ़ की योजनाओं का कार्यान्वयन काराया जा रहा है। कराये जा रहे कार्यो के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ एव कारगर बनाने हेतु सुसंगत नियमों एवं व्यवस्था विभिन्नि परिपत्रों/आदेशो के माध्यम से किया गया है। इस क्रम में पत्रांक 251 दिनांक 05.03.2014 द्वारा प्राक्कलनों का निर्माण, लीड की स्वीकृति, एकरारित एवं अतिरिक्त कार्य मदों की स्वीकृति एवं डीवाटरिंग की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शक नीति निर्धारित करते हुए अनुपालन का निदेश दिया गया है, परन्तु योजनाओं के प्रगति की समीक्षा एवं मुख्यालय में प्राप्त होने वाले विचलन के प्रस्तावों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित नीति के अनुरूप न तो प्राक्कलनों का निर्माण हो रहा है और न ही लीड की स्वीकृति दी जा रही है। इसी प्रकार कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का जॉच प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं हो पाने से विपत्रों से इस मद में राशि Heldup कर ली जाती है। इसका कुप्रभाव कार्यों की प्रगति पर परिलक्षित हो रहा है। उक्त परिपेक्ष्य में निम्न निदेश अनुपालन हेतु निर्धारित किए जाते है:–

1. **लीड प्लान की स्वीकृति :–**

i. प्राक्कलनों का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाय ताकि कार्यान्वयन के दौरान एकरारित मदों में विचलन/नये कार्य मदों पर नियंत्रण पाया जा सके। अपरिहार्य कारणोंवश यदि उक्त स्थिति बनती है, तो योजना के प्रारंभ होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर ही एकरारित मदों में संभावित वृद्धि एवं नये कार्य मदों के आवश्यकता का आकलन कर एक बार में ही सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

ii. लीड प्लान की स्वीकृति के संबंध में विभागीय पत्रांक 251 दिनांक 05.03.2014 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि प्रावैधिक स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधानित यांत्रिक विधि द्वारा मिट्टी/सामग्री ढुलाई के लिए प्रावधानित लीड के लिए लीड प्लान स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । यह माना जायेगा कि प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकार द्वारा विस्तृत जॉचोपरान्त बौरो एरिया का निर्धारण कर प्राक्कलन में लीड का समावेश किया गया है।

iii. कार्यान्वयन के दौरान प्रावैधिक स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधानित लीड में वृद्धि होने अथवा अतिरिक्त लीड का प्रावधान किये जाने पर संबंधित मुख्य अभियंता (सक्षम प्राधिकार) से लीड प्लान की स्वीकृति आवश्यक होगी।

2. **अनुसूचित दरः–**

पथ निर्माण विभाग के अनुसूचित दर पुस्तिका में प्रावधानित मद संख्या 3.16 (MORTH Specification 305 का प्रसंग) की तरह यांत्रिक कार्य से मिट्टी ढुलाई हेतु

500 मीटर इनीसियल लीड तक के लिए दर विश्लेषण कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका में प्रावधानित किया जाय। यह स्पष्ट करना है कि वास्तविक लीड के आलोक में प्राक्कलन का गठन किया जाय, परन्तु यदि प्राक्कलन गठन के समय वास्तविक लीड का निर्धारण संभव नहीं है तो प्राक्कलन में 500 मीटर इनीसियल लीड वाले मद का प्रावधान किया जाय।

2.1 संबंधित कार्यपालक अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ मुख्य अभियंता का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित हो लें कि मिट्टी की उपलब्धता 150 मीटर के अन्तर्गत है एवं तत्पश्चात ही इसका समावेश प्राक्कलन में किये जाय।

3. <u>गुण नियंत्रणः–</u>

i. क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत गुण नियंत्रण प्रमंडलों को 10.00 करोड़ रूपये तक की लागत (एकरारित राशि) की योजनाओं के गुण नियंत्रण की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। इससे अधिक लागत की परियोजनाओं के गुण नियंत्रण का उत्तरदायित्व खगौल स्थित शोध संगठन में निहित रहेगा। इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश संख्या–20 दिनांक 04.01.2013 को निरस्त किया जा सकता है।

ii. 10.00 करोड़ रूपये से अधिक की लागत (एकरारित राशि) अथवा विभाग द्वारा निदेशित अन्य योजनाओं के गुण नियंत्रण के लिए खगौल स्थित गुण नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा सैम्पुल एकत्र कर उड़नदस्ता संगठन को उपलब्ध कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता संगठन द्वारा प्राप्त सैम्पुल का कोडिंग कर इसे शोध संगठन को जॉच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। शोध संगठन द्वारा गुणवत्ता का जॉच फल उड़नदस्ता संगठन को उपलब्ध कराया जाएगा एवं उड़नदस्ता संगठन द्वारा डी–कोडिंग कर जॉच फल पुनः गुण नियंत्रण प्रमंडलों को लौटा दिया जाएगा। गुण नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा उसी दिन संबंधित कार्य प्रमंडलों को जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

iii. सभी गुण नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा चालू योजनाओं के लिए सात दिन के Cube Strength का जॉच प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित मापदंडों (बी0आई0एस0 456) के अनुरूप प्रतिवेदन प्राप्त होने पर चालू विपत्रों से गुण नियंत्रण मद में कटौती किये बिना भुगतान की कार्रवाई की जाय। 28 दिन के Cube Strength के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर किये गये भुगतान के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाय। यदि किसी परिक्षेत्र से गुण नियंत्रण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से संबंधित कार्यपालक अभियंता इस मद में कटौती कर विपत्र का भुगतान करते है तो इसके लिए संबंधित स्थल प्रभारी कार्यपालक अभियंता एवं गुण नियंत्रण प्रभारी कार्यपालक अभियंता दोनों बराबर रुप से दोषी माने जायेंगें।

iv. शोध संगठन द्वारा अपना Web Portal विकसित किया जाय तथा सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को पासवर्ड एवं यूजर आई डी0 उपलब्ध कराया जाय। जॉच प्रतिवेदन निर्धारित समय के भीतर Web Portal पर अपलोड कर दिये जाय।

4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 198 /पटना, दिनांक— 14/3/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 198 /पटना, दिनांक— 14/3/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित। 14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)